न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 167/17
निर्णय दिनांकः 07.05.2018

1. सीताराम पुत्र कालू उर्फ काल्या जाति बागड़ा ब्राहमण नि0 रामपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी के पिता स्व0 कालू पुत्र रूगघान जाति बागड़ा ब्राहमण थे जिनके वादी व उसके भाई मंगला, धन्ना, गोपाल है वादी स्व0 कालू पुत्र रूगनाथ का जायंदा पुत्र है वादी के पिता स्व0 कालू की विरासत द्वारा छोड़ी गयी आराजी वाकै ग्राम रामपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में खाता सं0 35 जिसके खं0नं0 126 रकबा 6 बीघा 8 विस्वा, खाता सं0 34 की आराजी खं0नं0 11 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 20 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 49 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 50 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 58 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 71/1 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 75 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 86/152 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा किता 8 कुल रकबा 12 बीघा 12 विस्वा व खाता सं0 1, 10 (मजकूर) के खं0नं0 225/1 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 232/3 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 325/110 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 110/2 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 327/111 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 329/112 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 334/115 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 355/122 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 362/125 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 127 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 128 रकबा 6 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 365/129 रकबा 11 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 367/130 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 369/132 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 371/133 रकबा 7 बीघा 18 विस्वाख खं0नं0 375/135 रकबा 7 विस्वा किता 16 कुल रकबा 52 बीघा 19 विस्वा है उपरोक्त वर्णित ख0नं0 में वादी का 1/5 हिस्सा है। वादी का घर पर बोलता नाम रामस्वरूप था तथा वादी का वास्तविक नाम सीताराम था जिसके कारण वादी को रामस्वरूप व सीताराम दोनों नामों से जानते थे इसी कारण जब वादी के पिता स्व0

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

कालू उर्फ काल्या की फौती पर विरासत का नामान्तकरण वादी के नाम खोला गया तब वादी का वास्तविक नाम सीताराम अंकित नहीं करते हुये रामस्वरूप अंकित कर दिया गया जबकि जबकि फौती नामान्तकरण वास्तविक नाम सीताराम के नाम से खोला जाना चाहिए था वादी के फौती नामान्तकरण रामस्वरूप नाम का गलत खोल दिया जिसकी वादी को जानकारी नहीं हो पायी थी क्योकिं वादी के नाम नामान्तकरण खोलने के पश्चात् वादी ने कभी उक्त आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड की प्रमाणित नकल नहीं थी जिसके कारण वादी इसी विश्वास में था कि उसके नाम उक्त भूमि उसके वास्तविक नाम सीताराम से खातेदारी मे दर्ज हो गयी होगी। वर्तमान में जब वादी ने अपनी आराजीयात उपरोक्त को उन्नत व विकसित करने के लिए उक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 05.10.17 को प्राप्त की तो वादी को जानकारी हुयी कि उसके पिता का जो फौती नामान्तकरण विरासत का उपरोक्त आराजीयात का खोला गया उसमें वादी का घर पर बोलता हुआ नाम रामस्वरूप अंकित कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम सीताराम है तथा इसी नाम से खातेदारी अंकित होनी चाहिए थी इस प्रकार वादी का सहवन से नाम सीताराम की जगह गलत रामस्वरूप खातेदारी में अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम सीताराम है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, डाईविंग लाईसेंस, वोटरलिस्ट व अन्य दस्तावेजात में भी वादी का नाम सीताराम है तथा इन दस्तावेजों में वादी को कालू उर्फ काल्या का जांयदा पुत्र अंकित किया हुआ है इस प्रकार वादी को अपनी उक्त खातेदारी में उसके नाम की दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ है जिससे वादी को भविष्य में अनावश्यक कानूनी पेचिदगियों का सामना नहीं करना पड़ें ओर अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करवा सकें। वादी को अपने नाम का गलत अंकन होने की जानकारी होने पर वादी तहसीलदार फुलेरा के समक्ष जाकर उक्त नाम की दुरूस्ती करने का निवेदन किया तथा जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में जो रामस्वरूप अंकित है उसकी जगह सीताराम दुरूस्त करवानें के लिए दिनांक 12.12.17 को कहा तो प्रतिवादी ने न्यायालयय से आदेश लाने की हिदायत दी इसलिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र बोबास में पेश हुयी। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित किया गया कि नामान्तकरण सं0 14 सन् 1964 में दर्ज किया गया था उस वक्त प्रार्थी के बोलते नाम रामस्वरूप के नाम से सजरा में अंकित करवा दिया गया जो अज्ञानता व अशिक्षा की वजह से हुआ जबकि रामस्वरूप का सही नाम सीताराम है जो प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डाईविंग लाईसेन्स आदि में सीताराम ही दर्ज है जो सही है व रामस्वरूप व सीताराम एक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

ही अंकित है अतः रामस्वरूप की बजाय राजस्व रिकोर्ड में भी सीताराम की दुरूस्त किया जाना वाजिब है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में ग्राम पंचायत बोबास का प्रमाण पत्र, फोटो कॉपी आधार कार्ड, फोटो कॉपी पहचान पत्र, फोटो कॉपी लाईसेन्स, प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2071–74 पेश की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 35 जिसके खं0नं0 126 रकबा 6 बीघा 8 विस्वा, खाता सं0 34 की आराजी खं0नं0 11 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 20 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 49 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 50 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 58 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 71/1 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 75 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 86/152 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा किता 8 कुल रकबा 12 बीघा 12 विस्वा व खाता सं0 1, 10 (मजकूर) के खं0नं0 225/1 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 232/3 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 325/110 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 110/2 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 327/111 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 329/112 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 334/115 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 355/122 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 362/125 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 127 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 128 रकबा 6 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 365/129 रकबा 11 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 367/130 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 369/132 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 371/133 रकबा 7 बीघा 18 विस्वा खं0नं0 375/135 रकबा 7 विस्वा किता 16 कुल रकबा 52 बीघा 19 विस्वा वाकै ग्राम रामपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में दर्ज रामस्वरूप के स्थान पर सीताराम दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प बोबास मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

सीताराम बनाम तहसीलदार फुलेरा
दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज
मुकदमा नंबर 167/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दिव्यराज मीर व हाजरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमाई जाती है कि आराजी खाता सं0 35 जिसके खं0नं0 126 रकबा 6 बीघा 8 विस्वा, खाता सं0 34 की आराजी खं0नं0 11 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 20 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 49 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 50 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 58 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 71/1 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 75 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 86/152 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा किता 8 कुल रकबा 12 बीघा 12 विस्वा व खाता सं0 1, 10 (मजकूर) के खं0नं0 225/1 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 232/3 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 325/110 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 110/2 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 327/111 रकबा 3 विस्वा, खं0नं0 329/112 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 334/115 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 355/122 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 362/125 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 127 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 128 रकबा 6 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 365/129 रकबा 11 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 367/130 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 369/132 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 371/133 रकबा 7 बीघा 18 विस्वा खं0नं0 375/135 रकबा 7 विस्वा किता 16 कुल रकबा 52 बीघा 19 विस्वा वाकै ग्राम रामपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में दर्ज रामस्वरूप के स्थान पर सीताराम दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। .....

.....निज ..... मुबलिग..... बाबत.....

..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner